

समाहरणालय, सहरसा
(जिला मोनरीय प्रशाखा)

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिरोध और व्यापार सगिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Product (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA) को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 336 (12) पटना दिनांक 02-04-2012 के आलोक में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC) ** का गठन किया जाता है।

गठित की गयी समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थानों के निम्नलिखित सदस्य होंगे

1.	जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति	- अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, सहरसा	- सदस्य
3.	उप विकास आयुक्त, सहरसा	- सदस्य
4.	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति	-सदस्य सचिव
5.	विशेष नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सहरसा	-सदस्य-सह-समन्वयक
6.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पालिका, सहरसा	- सदस्य
7.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	- सदस्य
8.	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी	- सदस्य
9.	जिला परिवहन पदाधिकारी	- सदस्य
10.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	- सदस्य
11.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य सगिति, सहरसा	- सदस्य
12.	जिला खाद्य /औषधि नियंत्रक	- सदस्य
13.	प्राचार्य, सहरसा कॉलेज, सहरसा	- सदस्य
14.	प्राचार्य, नरेंद्र हाई स्कूल, सहरसा	- सदस्य
15.	सचिव, रेडक्रस सोसाइटी, सहरसा	- सदस्य
16.	प्रतिनिधि सौमियो इन्फॉर्मिक एन्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), बिहार	- सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुभवण करेगी जो निम्नलिखित है :-

- Ⓔ COTPA 2003 को पूरे जिला में प्रभावी रूप से लागू कराने, घालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने एवं मूल्यांकन तथा अनुभवण में सहयोग करना।
- Ⓔ तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुभवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- Ⓔ सभी प्रखंडों की अनुभवण /सहनुमाई समितियों का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से उम्भसिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- Ⓔ यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित किलने मामलों में फौरत किया गया है।



- ☑ तम्बाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखंड स्तरीय समितियों को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- ☑ भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA 2003) की धारा-4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करना तथा जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- ☑ जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (DTCCC) के सदस्यों की वैभाषिक बैठक सुनिश्चित करना।
- ☑ तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष/Surrogate विज्ञापन के बारे में शिक्षागत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

६०

जिलाधिकारी
सहरसा

क्रमांक ६१० / मो सहरसा

दिनांक 20-10-14

- प्रतिलिपि - सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहरसा/ जिला भेडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, सहरसा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा रजिस्ट्रार / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीटीएस / टीआईओ, एनआईओ, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि - पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनाार्थ एवं अनुपालनाार्थ प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देने।
- प्रतिलिपि - प्रमंडल आयुक्त, कोसी/पुलित उप महानिरीक्षक, कोसी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - कार्यपालक निदेशक, सांख्यिक इकाई एवं रोजगार सेवाएँ (सीडस), 303 बल्ली कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनर्वास, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

20-10-14
जिलाधिकारी
सहरसा

Asit

समाहरणालय, सहरसा
(जिला गोपनीय प्रशाखा)
आदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ~~उत्तर बिहार राज्य~~ सहरसा को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। ये जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय कायम कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सकल संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सहरसा जिले को मुख्यालय मुक्त जिला घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

यह आदेश तत्कालीन प्रभाव से लागू होगा।

02-11-14
जिलाधिकारी -सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
सहरसा।
Asst

ज्ञापक 938 (A) / गौ. सहरसा, दिनांक 8.11.2014

- प्रतिनिधि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा/सिमरी बखिपारपुर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहरसा/शिवरी बखिपारपुर/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, सहरसा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/डिप्टी मजिस्ट्रेट/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिषद पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीडीपीएसओ/डीआईओओ, एनओआईओसी, /जिला शिक्षा पदाधिकारी/ विधिल सजर्न/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिनिधि :- पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिनिधि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- प्रतिनिधि :- कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकनामिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बराही कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।
- प्रतिनिधि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।
- प्रतिनिधि :- सचिव, स्वास्थ्य-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

02-11-14
जिलाधिकारी -सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
सहरसा।
Asst

समाहरणालय, सहरसा
(जिला पोषणीय प्रशाखा)

आदेश


तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है अतः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार एवं स्टेडियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीकस) द्वारा संयुक्त रूप से संघालित तम्बाकू निर्वन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत अयोहस्ताक्षरी द्वारा कानून का सखी से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आदेश निगत किया जाता है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापानार दस्तों का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/नैर सरकारी कार्यालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर निदमानुसार बोलान/जुर्माना (रुपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

जिला स्तरीय छापानार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:-

1. विशेष नोटल पदाधिकारी (तम्बाकू निर्वन्धन)	-	अध्यक्ष
2. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय)	-	सदस्य
3. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल,	-	सदस्य
4. जिला परिवहन पदाधिकारी	-	सदस्य
5. अपर मुख्य विक्रय पदाधिकारी	-	सदस्य
6. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी	-	सदस्य
7. औषधि निरीक्षक	-	सदस्य
8. जिला शिक्षा पदाधिकारी	-	सदस्य
9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति)	-	सदस्य
10. श्रम असीक्षक	-	सदस्य
11. संबंधित धानाध्यक्ष	-	सदस्य
12. जिला नोटल पदाधिकारी (तम्बाकू निर्वन्धन)	-	समन्वयक

जिला नोटल पदाधिकारी तम्बाकू निर्वन्धन इस छापानार दस्तों के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापानारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अयोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।


जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू निर्वन्धन समन्वय समिति,
सहरसा

क्रमांक 886/सह सहरसा

दिनांक 20.10.19

प्रतिनिधि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुबंधल पदाधिकारी, सहरसा/सभी अनुबंधल पुलिस पदाधिकारी, सहरसा/ जिला नोटल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू निर्वन्धन समन्वय समिति, सहरसा / जिला संघायली राज पदाधिकारी / सिनेमा थिएटर/ जिला सूचना जन सन्धक

पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीडीओएसओ / सीआईओओ, एनओआईसीओ, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, साहरसा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, साहरसा को सूचनाार्थ एवं अनुपालनाार्थ प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- प्रबंधक आयुक्त, कोसी / पुलिस उप महानिरीक्षक, कोसी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, संचिपों इन्सुमिक एन्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनार्ईधक, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय लंबाजू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

10.10.19
जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला लम्बाजू नियंत्रण समन्वय समिति,
साहरसा

Asit

समाहरणालय, सहरसा
(जिला गोपनीय प्रस्ताव)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है अतः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडब्ल्यू) द्वारा संयुक्त रूप से संघालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अयोधराज्यरी द्वारा कानून का सखी से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आदेश निर्गत किया जाता है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ अनुमंडल स्तरीय छापाधार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/नैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रेता स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार धातान/जुर्माना (रुपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

अनुमंडल स्तरीय छापाधार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. अनुमंडल पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 3. कार्यपालक दण्डाधिकारी | - | सदस्य |
| 4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 5. प्रमारी विक्रित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय | - | सदस्य |
| 6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 7. संबधित धानाध्यक्ष | - | सदस्य |

संबधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापाधार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापाधारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अयोधराज्यरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सहायता लें सखेंगे।

६०

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
सहरसा

क्रमांक १४१ / गौ सहरसा

दिनांक 20.10.14

प्रतिनिधि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहरसा / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, सहरसा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा रजिस्ट्रार / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईटीसीडीएस / सीआईओओ, एचआईओ, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि :- पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित अनुलेख है कि अपने स्तर से किले के सभी धानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देनी।

१४

- प्रतिनिधि - प्रमंडल आयुक्त, कोसी / पुलिस उप महानिरीक्षक, कोसी को सादर सूचनाएं प्रेषित।
- प्रतिनिधि - कार्दपालक निदेशक, सांशियो इन्वन्टिक एण्ड रेजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनर्बाँधक, पटना को सूचनाएं प्रेषित।
- प्रतिनिधि - राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनाएं प्रेषित।
- प्रतिनिधि - स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनाएं प्रेषित।

13/10/14
 जिलाधिकारी - सह-अध्यक्ष,
 जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
 साहरसा

Asst

समाहरणालय, सहरसा
(जिला गोपनीय प्रसाख्य)
आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है अतः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार एवं सोशियो इकोनॉमिक एन्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीडस) द्वारा संपुक्त रूप से संबंधित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अयोहस्ताक्षरी द्वारा कानून का सखी से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आदेश निर्गत किया जाता है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखंड स्तरीय छापामार दस्तों का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर निम्नानुसार बालन/जुर्माना (रुपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 1. प्रखंड विकास पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2. प्रभारी विकिरता पदाधिकारी | - | सचयक सदस्य |
| 3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक | - | सदस्य |
| 7. संबंधित धानाध्यक्ष | - | सदस्य |

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्तों के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अयोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। ये आवश्यकतानुसार अंशपदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अवगत के रूप में प्रतिनिपुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवाएं ली जा सकेंगी।

ॐ

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
सहरसा

आंक ७६९/गो सहरसा

दिनांक २०.१०.१४

प्रतिनिधि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुबंधित पदाधिकारी, सहरसा/सभी अनुबंधित पुलिस पदाधिकारी, सहरसा/ जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, सहरसा /जिला संघायी राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीटीएच

६

/ सी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाखण्डों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देवे।
- प्रतिलिपि :- प्रमंडल आयुक्त, कोसी / पुलिस उप महानिरीक्षक, कोसी को सादर सूचनाएं प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, संश्लेषी इकनामिक एण्ड रेजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनर्बाईचक, पटना को सूचनाएं प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनाएं प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनाएं प्रेषित।

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
सहरसा

Asst

समाहरणालय, सहरसा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

आदेश.

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के-अन्वये क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं। अतः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीडन) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा कानून का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आदेश निर्गत किया जाता है।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों यथा-बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिष्ठालय, टी स्टॉल, मिष्ठान मंडार, डाक, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, COTPA-2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंघनकर्ता को रुपये 200/- तक जुर्माना किया जा सकता है। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :-

6092713098



**धूम्रपान रहित क्षेत्र,
यहाँ धूम्रपान करना
एक अपराध है।**

उल्लंघन करने पर 200/- रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।

यदि कोई व्यक्ति यहाँ कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो कृपया तुरंत अधिकारी को सूचना दें।

1. अधिकारी/अधिकारी

2. पता/पता

3. अधिकारी/अधिकारी का

6092713098

अतः धारालय के द्वारा अधिनियम 200 १0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंघन करने वाले को 200 १0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
साहरसा

क्रमांक ४४३ / गो साहरसा

दिनांक 20/10/14

- प्रतिलिपि :- सभी प्रबंध विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, साहरसा / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहरसा / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, साहरसा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईटीडीएसी / डीआईओओ, एनआईसी, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / विधित्त सर्वेक्षण / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, साहरसा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, साहरसा को सूचना एवं प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी बागधरियों एवं पुलिस उप निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देने।
- प्रतिलिपि :- प्रमंडल अनुकूल कोषी / पुलिस उप महानिरीक्षक, कोषी को सादर सूचनाएं प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, संश्लेषण इन्वैन्सिक एन्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडी), 303 बसोती ब्रुज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनर्बांधक, पटना को सूचनाएं प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनाएं प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनाएं प्रेषित।

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,

साहरसा

Asst

समाहरणालय, सहरसा
(जिला गोपनीय प्रशाखा)
आदेश

जिले के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स / पोस्टरर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(2) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार 'धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास /रुपये 1000/- (रुपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रवधान है'।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों / संस्थाओं / दुकानदारों / व्यक्तियों को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स / पोस्टरर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं जिले में लगाये गये इस तरह के बैनर्स / पोस्टरर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाने जाये अथवा किन्हीं संगत कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र को TAPS (Tobacco Advertisement Promotion and Sponsorship) मुक्त कर अधोहस्ताक्षरी को एक महीने के अंदर सूचित करें।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

६०

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तंबाकू निबंधन समन्वय समिति,
सहरसा

क्रमांक ६६१ / गे० सहरसा

दिनांक 28.10.14

प्रतििति :- सभी प्रबंध विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहरसा / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू निबंधन समन्वय समिति, सहरसा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतििति :- पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित अनुशेष है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतििति :- प्रमंडल आदुकर, कोसी / पुलिस उप महानिरीक्षक, कोसी को सादर सूचनाएं प्रेषित।

प्रतििति :- कार्यपालक निदेशक, संचियों इकायिक एन्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट कोलाइटी (सीडल), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनर्बांधक, पटना को सूचनाएं प्रेषित

प्रतििति :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू निबंधन कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनाएं प्रेषित।

प्रतििति :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यक्रमक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सादर सूचनाएं प्रेषित।

जिलाधिकारी सह-अध्यक्ष

जिला तंबाकू निबंधन समन्वय समिति,
सहरसा

Asst

समाहरणालय, सहरसा
(जिला गोपनीय प्रस्ताव)

आदेश

शिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6-a के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबन्धित है अतः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीडन) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपोहरतादारी द्वारा कानून का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आदेश निम्नलिखित किया जाता है। फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-



तम्बाकू जानलेवा है

अठारह वर्ष से कम
आयु वाले व्यक्ति
को तम्बाकू उत्पादों
की बिक्री दंडनीय
अपराध है

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बिड़ी, शिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि अपने-अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु तक दंड का प्राधान्य है।

ह/०

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
सहरसा

झापांक 385 / मो सहरसा

दिनांक 20.10.14

- प्रतिलिपि :- सभी प्रबंध विकास पदाधिकारी / सभी अनुबंधित पदाधिकारी, सहरसा / सभी अनुबंधित पुलिस पदाधिकारी, सहरसा / जिला नौदल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, सहरसा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा नजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीटीएल / डीआईओ, एनआईसी, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा को सूचना एवं आचरणक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचना एवं अनुसन्धान प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आराध की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- प्रमंडल आयुक्त, कोसी / पुलिस उप महानिरीक्षक, कोसी को सादर सूचना प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, संशिक्षण इकायिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसोती मुंज अक्टोमैन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईक, पटना को सूचना प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचना प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचना प्रेषित।

13-10-14
 जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
 जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
 सहरसा
 Asit


समाहरणालय, सहरसा
(जिला गोपनीय प्रस्ताव)

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6-b के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 मज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं फलैक लगाए जाने का निर्देश दिया गया है अतः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीडसा) द्वारा संयुक्त रूप से संघालित तम्बाकू निबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा कानून का सखी से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आदेश निम्न किये जाते हैं।

फलैक बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-

60cmx 60 cm (15cm+30cm+15cm)



जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 मज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की किडी पर पुर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं बालान के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू निबंधन पर प्रकाश-पेटी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें।

60

**जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू निबंधन समन्वय समिति,
सहरसा**

क्रमांक 284 / गौ सहरसा

दिनांक 20-10-14

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहरसा / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू निबंधन समन्वय समिति, सहरसा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईएनटीडीएसओ / डीआईओओ, एनआईसी, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा को सूचना एवं आह्वानक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचना एवं अनुचालनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानास्थलों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आह्वान की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- प्रमंडल आयुक्त, कोसी, पुलिस उप महानिरीक्षक, कोसी को सादर सूचना प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यवाहक निदेशक, सशिवो इकायिक एण्ड रेजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडीसा), 303 बसती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनर्वाहक, पटना को सूचना प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू निबंधन कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचना प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यवाहक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचना प्रेषित।

20/10/14
जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू निबंधन समन्वय समिति,
सहरसा
Asit